02932-231616

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

एस–ए–6, मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली

क्रमांक / राप्रनिम / क्षे.का.पाली / एस.एम.–369/1250 दिनाँक : 2/7/18

श्रीमान् सदस्य सचिव
राज.प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जयपुर।

विषय : मैसर्स 20 माईक्रोन्स लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) द्वारा निकट ग्राम मोरस, कुल क्षेत्र 49.25 हैक्टेयर), ग्राम पंचायत मोरस, तहसील पिण्डवाडा, एवं जिला सिरोही में प्रस्तावित कैल्साइट खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति बाबत् लोक जनसुनवाई का आयोजन दिनांक 19.06.2018 से सम्बधित कार्यवाही का विवरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैसर्स 20 माईक्रोन्स लिमिटेड., वडोदरा (गुजरात) द्वारा निकट ग्राम मोरस, कुल क्षेत्र 49.25 हैक्टेयर), ग्राम पंचायत मोरस, तहसील पिण्डवाडा, एवं जिला सिरोही में प्रस्तावित कैल्साइट खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति बाबत् लोक जनसुनवाई का आयोजन दिनांक 19.06.2018 को दोपहर 03:00 बजे सभा भवन, ग्राम पंचायत मोरस, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही (राज.) में किया गया। जन सुनवाई का कार्यवृत विवरण (Minutes) की हस्ताक्षरित प्रति, उपस्थिति पत्रक की मूल एवं अतिरिक्त प्रति एवं विडियोग्राफी से सम्बंधित सी.डी. (02 प्रति) एवं फोटोग्राफ (सी.डी. तथा एलबम) सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजीव पारीक)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., पाली

क्रमांक / राप्रनिम / क्षे.का.पाली / दिनाँक :

1. जिला कलेक्टर, सिरोही को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु मय सी.डी. एवं फोटोग्राफ (सी.डी. तथा एलबम)।
2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, सिरोही को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु मय सी.डी. एवं फोटोग्राफ (सी.डी. तथा एलबम)।
3. ए.सी.पी. राप्रनिम, जयपुर को मण्डल मुख्यालय पत्रांक F.Tech (P-0158) RPCB/ CPM/ 837 दिनांक 09.08.2011 की अनुपालना में जन सुनवाई का कार्यवृत विवरण (Minutes) को मण्डल की वेबसाईट पर दर्शाने हेतु।
4. मैसर्स 20 माईक्रोन्स लिमिटेड., 9–10, जीआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, वागोडिया–391760 वडोदरा (गुजरात) को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Lalit J.A. upload on website 23.7.18

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., पाली

Scanned by CamScanner

जनसुनवाई विवरण

मेसर्स 20 माईक्रोन लि. द्वारा निकट ग्राम मोरस, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही में प्रस्तावित कैल्साईट खदान, उत्पादन क्षमता – 1,07,600TPA (एक लाख सात हजार छः सौ टन प्रतिवर्ष कैल्साइट एवं क्षैत्रफल – 49.25 हैक्टेयर, एम.एल. न. 01/80) हेतु पर्यावरण स्वीकृति बाबत् लोक जनसुनवाई का आयोजन आज दिनांक 19.06.2018 को मध्यान्ह पश्चात् 03:00 बजे ग्राम पंचायत मुख्यालय मोरस, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही में किया गया।

जन सुनवाई में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर सलग्न है। जन सुनवाई हेतु आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस के संस्करण दिनांक 18.05.2018 और दैनिक भास्कर के संस्करण दिनांक 16.05.2018 में प्रकाशित करवा दी गई थी, सुनवाई से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय पाली में उक्त के सम्बंध में दिनांक 19.06.2018 तक कोई मौखिक अथवा लिखित आपत्ति/सुझाव/विचार प्राप्त नहीं हुए।

सर्वप्रथम अति. जिला कलेक्टर सिरोही श्री आसाराम डुडी ने इस जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए सभी उपस्थित ग्रामवासियों से आग्रह किया कि वे सभी कंपनी की प्रस्तावित खनन परियोजना को सुने तथा खदान मालिक से इस बावत् किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका स्वागत है।

इसी दौरान श्री राजीव पारीक, क्षैत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली ने सभी उपस्थित अधिकारीयों व ग्रामवासियों का स्वागत करते हुए जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व के बारे में उपस्थित आमजन/ग्रामवासियों को बताया और परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने हेतू खनन परियोजना के तकनीकी विशेषज्ञ मैसर्स एन. एस. इन्वायरोटेक लेबोरेट्री एण्ड कंसल्टेंट जयपुर के श्री नरेन्द्र सिंह नरूका से खनन परियोजना के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

तत्पश्चात् श्री नरेन्द्र सिंह नरूका ने प्रस्तावित खनन परियोजना के समबन्ध में कार्यकारी सारांश की विस्तृत जानकारी दृश्यावली द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि निम्न प्रकार है–

सर्वप्रथम यह खनन पट्टा श्री अमरचन्द रांका को सरकारी आदेश क्रमांक एफ (280) खान जी.आर.1/80 दिनांक- 03.10.1981 को 800 हेक्टेयर के लिये दिया जिनका पंजीकरण दिनांक 25.06.1983 से आने वाले 20 वर्ष के लिये किया गया जिसमें से 329 हेक्टेयर दिनांक 12.06.1984 को वापस कर दिया गया। दिनांक 12.03.1989 को 421.75 है. को दोबारा से वापिस कर दिया गया अब केवल सिर्फ 49.25 है. क्षेत्रफल खनन के लिए उपलब्ध है।

उक्त खनन पट्टा का स्थानान्तरण सरकारी आदेश क्रमांक एफ–3(94) खान/जीआर।।/89 दिनांक 16.11.1989 व पंजीकरण दिनांक 16.02.1990 को श्री लेहरसिंह नलवाया पुत्र श्री जीवन सिंह नलवाया उदयपुर को किया गया। जिसके पश्चात खनन पट्टा का स्थानान्तरण सरकारी आदेश क्रमांक एमई/सिरोही/मेजर/एम.एल/01/1980/2695 दिनांक 23.11.2015 व पंजीकरण दिनांक 16.02.1980 को मैसर्स 20 माइक्रोन लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड पता 9–10, जीआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, वागोडिया'–391760 जिला वडोदरा, गुजरात को किया गया।

Scanned by CamScanner

खनन-पट्टा की अवधिवृद्धि 20 वर्ष से 50 वर्ष सरकारी आदेश क्रमांक एमई/सिरोही/मेजर/एम एल/01/1980/2695 दिनांक 23.11.2015 (25.06.1983 से 24.06.2033) कर दी गई है।

मोडिफाईड खनन योजना का अनुमोदन पत्र क्रमांक एसएमई/जेओ/सीसी/सिरोही/माईनर/एमएल/01/1980/4110–14 दिनांक 26.07.2016 को किया गया।

अतः इस संदर्भ में राज्य स्तरीय प्रभाव आंकलन विशेषज्ञ समिति, राज. (State Level Expert Appraisal Committee Raj.) द्वारा बी केटेगरी में दिनांक 06.06.2017 को TOR पत्र क्रमांक–F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj /Sectt /Project / Cat.1(a).B1 (314 /15107) /16-17/ 7029-7031 जारी किया गया एवम् उस पत्र के अनुसार EIA / EMP Report तैयार किया गया।

केल्साइट खदान एम.एल. न. 01/80, क्षेत्रफल 49.25 हेक्टर है जो कि निकट ग्राम मोरस, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला – सिरोही (राज.) मे स्थित है । इसके आवेदक मेसर्स 20 मायक्रोन लि. है, जिनका पंजीकृत कार्यालय 9–10, जीआईडीसी इंडस्टीयल स्टेट, वागोडिया –391760 जिला वडोदरा गुजरात में स्थित है। फर्म के निर्देशक मंडल में आठ सदस्य है एवं श्री राज के. महापात्रा इसके जनरल मेनेजर है।

परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रतिवर्ष 1,07,600TPA (ROM) (1 लाख सात हजार छः सो टन(ROM)) का खनन किया जाना प्रस्तावित है।

सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा पारित नियम सन् 2006 के अनुसार खनन क्षेत्र के प्रथम बार तथा उत्पादन बढाते समय पर्यावरण स्वीकृति की जरुरत होती है, तथा स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्राईजल कमीटी द्वारा टोर के अनुक्रम में दिनांक 19.06.2018 को लोक जनसुनवाई आयोजित करवाई गई।

- खनन क्षेत्र रेलवे स्टेशन बनास से 9.0 किमी. एवं एन.एच–927 अ से 11.72 किमी. की दुरी पर स्थित है ।
- खनन योग्य भण्डार एवं खनन अवधिः खनन योग्य भण्डार की मात्रा 417483 टन है जिसमें एवं 107600 (ROM) TPA उत्पादन क्षमता के आधार पर खदान की आयु लगभग 18 वर्ष है।
- खनन प्रक्रिया : खनन प्रक्रिया सेमी यंत्रीकृत खुली खदान विधि से की जानी प्रस्तावित है।
- अध्ययन क्षेत्रः– अध्ययन क्षेत्र में कोर जोन और बफर जोन दोनों को सम्मिलित किया गया है।
  - कोर जोन खनन क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 49.25 हेक्टर है।
  - प्रस्तावित खनन क्षेत्र (कोर जोन) की परिधि से 10 कि.मी. की त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र को बफर जोन माना गया है।

स्थलाकृति: खनन लीज क्षेत्र चट्टानी उबड़–खाबड़ पहाड़ियों युक्त है। खनन क्षेत्र की समुद्र तल से न्यूनतम एवमं अधिकतम ऊँचाई 415mRL और 475mRL क्रमशः है। खनन पट्टा क्षेत्र में कोई वन भूमि नहीं है।

- जल निकासी (प्राकृतिक जल बहाव ढाँचा): खनन क्षेत्र में कोई सतही जल का नाला या नदी नही है। बफर जोन में कई नदी नाले है जिनका बहाव जल सूकली नदी में जाकर समाहित होता है। वर्षा ऋतु के पश्चात् सभी नाले सूख जाते है। ये जल बहाव पहाड़ी टेडे मेडे रास्तों से बहता हुआ समतल जमीन पर पहुंचकर नदी मे मिल जाता है।

Scanned by CamScanner

- ➤ पर्यावरण की आधारभूत स्थिति को समझने के लिये नमूने लेने के लिये स्थानों का चुनाव एक खनन क्षेत्र में (कोर जोन) व पांच स्थानों पर (खनन क्षेत्र के बाहर अध्ययन क्षेत्र में स्थित) गांव में किया गया। वायु, मिट्टी, ध्वनि और जल इत्यादि का अध्ययन व विश्लेषण किया गया। सभी परिणाम निर्धारित एवं स्वीकृत मापदंडों से कम पाये गये।
  - ❖ मिट्टी के अध्ययन हेतु कोर जोन (खनन क्षैत्र) से एक नमूना तथा बफर जोन (ग्रामरिया एवं कांटल, मोरस, अजारी, लोहरंचा) जोन से मिट्टी के 5 नमूने एकत्रित किये गये।
  - ❖ अध्ययन मे यह पाया गया कि मिट्टी का रंग हल्का भूरा तथा भूरा है। अध्ययन क्षैत्र की मिट्टी हल्की क्षारीय है जिसका पी.एच. मान 7.28 से 7.42 के बीच में है।
  - ❖ पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता: क्षैत्र में पाये जाने वाली वनस्पति (शाक, झाड़ी, लताएं, पेड़ और घास) एवं जीव जन्तुओं (पक्षी, सरीसर्प और स्तनधारी) का अध्ययन किया गया।
- ➤ जनसांख्यिकी: अध्ययन क्षेत्र मे 41445 व्यक्ति निवास करते है और औसत परिवार सदस्यो की संख्या 5.07 से 14.72 के मध्य है।
- ➤ सामाजिक संरचना: अनुसुचित जाति 10.30 प्रतिशत के मध्य एवं अनुसुचित जनजाति 48.63 प्रतिशत के मध्य है। सबसे ज्यादा अनुसुचित जनजाति के लोग खनन क्षेत्र से 3 कि.मी. की परिधि में निवास करते है।
- ➤ साक्षरता: 49.54 प्रतिशत है।
- ➤ **पर्यावरण अल्पीकरण उपाय:–** खनन प्रक्रिया के फलस्वरूप पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव को कम करने के लिये अल्पीकरण उपाय किये जायेंगे जो कि निम्न हैं:–

(क) वर्षा जल के सही बहाव के लिये कोर जोन के चारों तरफ एवं निकटस्थ खनन भण्डार के चारों ओर सतह पर नालियों का निर्माण किया जायेगा। बरसारत के मौसम में मलबे के ढेर एवं आसपास के क्षेत्रों के कटाव के फलस्वरूप नालों एवं खेतों में मलबे के जमाव को रोकने हेतु गारलेण्ड ड्रेन (नालानुमा नालिया), कैच ड्रेन तथा सिलटेशन तालाब का निर्माण किया जायेगा। नालियो के बीच मे जल भण्डारण पर व कीचड़ के जमा होने पर समय समय पर सफाई करने का प्रबन्ध किया जायेगा।

(ख) खनन क्षेत्र की सभी सडकों पर निरंतर पानी का छिडकाव किया जायेगा।

(घ) विस्फोटन पूर्व निर्धारित समय पर जो कि मध्यान्ह में होगा, उसी समय किया जायेगा।

(ङ) ध्वनि प्रदूषण को नियत्रित करने हेतु वाहनों का सही रखरखाव किया जायेगा। रात्रि में कम से कम मशीनों का संचालन किया जायेगा। डीजल चलित इंजन व मशीनों का समयबध्द रखरखाव किया जायेगा।

(च) खनन के दौरान खनिज व मलबे के भराव व अनलोडिंग के दौरान धूल कणो के उडने व आसपास कार्यरत श्रमिकों को दुष्प्रभाव से रोकने हेतु श्रमिकों को डस्ट मास्क प्रदान किये जायेंगे।

(छ) खनन कार्य में पुनः चक्रित जल का अधिक से अधिक उपयोग किया जायेगा।

(ज) धूल कण वाले स्थान पर कार्य करने वाले श्रमिकों को स्वास यंत्र पहनाने के लिये बाध्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके उपर पड़ने वाले धूल कणों के दुष्प्रभाव का पता लगाने के लिये नियमित रुप से उनकी चिकित्सीय जॉच करवाई जायेगी। समस्त कामगारों को सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराकर उपयोग के लिये पाबंद किया जायेगा।

(झ) खान में नियोजन से पूर्व व बाद में निर्धारित अवधि पर प्रत्येक कामगार का स्वास्थ्य जॉच व परीक्षण करवाया जायेगा।

(ञ) मलबे के निस्तारण के समय धूल कण बिखर कर जमीन पर एकत्रित होने से रोकने हेतु मलये के ढेर की ढाल 33 डिग्री से अधिक नहीं रखी जायेगी तथा मलबे के ढेर के उपर वृक्षारोपण किया जायेगा।

(ट) पर्यावरण मापदण्डों की निगरानी समयबद्ध तरीके से की जायेगी।

(ठ) वर्षा ऋतु जल का संग्रहण किया जायेगा।

(ड) कुल 16.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधारोपण किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

पर्यावरण मापदंडो की निगरानी कार्यक्रम :

विषय	निगरानी कार्यक्रम	निगरानी के आवश्यक पैरागीटर
भू जल	वर्ष में दो बार	pH, TDS, Cl, Hardness, Alkalinity & NO_3
वायु गुणवत्ता	वर्ष में दो बार	SPM, SO_2& NO_x
भूमि गुणवत्ता	वर्ष में दो बार	pH conductivity SO_4, NO_3, PO_4 & Soil texture
ध्वनि	वर्ष में दो बार	Noise level in dB(A)

❖ पर्यावरण प्रबन्ध व निगरानी खर्च:

क्रमाक	विषय	वार्षिक खर्च रू लाख मे
1.	प्रदूषण नियन्त्रण	0.40
2.	वायु, जल, भूमि, ध्वनि कि बाहरी सस्था द्वारा निगरानी	0.94
3.	पौधारोपण	2.0
4.	व्यवसायिक स्वास्थ्य	1.0
4.	विविध	0.50
	कुल	4.84

❖ कामगारों के लिये कल्याण खर्च:

क्रमाक	विषय	वार्षिक खर्च रू लाख में
1.	प्राथमिक उपचार	0.15
2.	जल, चाय, नास्ता, शौचालय इत्यादि	0.45
	कुल	0.60

❖ कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थय एवं कार्य कुशलता के लिये खर्च :

क्रमाक	विषय	वार्षिक खर्च रू लाख में
1.	कामगारों के लिये सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना जैसे जुते, टोपी, डस्ट मास्क इत्यादी	0.20
2.	कार्यकुशलता के प्रशिक्षण व बीमा	0.30
3.	रेस्ट शेल्टर	0.70
	कुल	1.20

❖ निगमिक/उद्यमी सामाजिक जिम्मेदारी: इस क्षेत्र के निवासियो की आवश्यकताओ का आंकलन किया गया और यह पाया कि स्वास्थ्य, दवाएं, बच्चो की पाठशाला का विकास, समाज के बेरोजगार युवकों के कौशल उन्नयन के कार्य किये जाए। पूर्ण निर्धारित उत्पादन पर, इस मद में प्रस्ताव निम्न है:

क्रमांक	विवरण	वार्षिक खर्चा लाख रू. में
1.	ग्रामीण के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन	0.40
2.	ग्रामीण विद्यालय में शोचालय का निर्माण व सेनेटरी नेपकिन	0.15
3.	महिलाओ के लिए कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन के लिए कार्यक्रम	0.50
4.	रोजगार के लिए कौशल उन्नयन – मोबाईल फोन मरम्मत, इलेक्ट्रोनिक उपकरण मरम्मत एवं जल पाइप लाइन मरम्मत इत्यादि	0.50
5.	गॉव का विकास	0.50
	कुल	2.05

Scanned by CamScanner

सारांश और निश्कर्षः

❖ सरकार को आर्थिक लाभः राज्य एवं केन्द्र सरकार को रॉयल्टी, वेट, वाणिज्यिक कर, अधिभार, भूमि कर, आयकर, सेवाकर इत्यादि के रूप में आय होगी।

❖ सामाजिक लाभः क्षेत्र में रहने वाली जनता को बेहतर रोजगार उपलब्ध होगा जिससे स्थानीय निवासियों को कार्य के लिये दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पडेगा। आर्थिक गतिविधियों से स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, कला एंव साफ सफाई इत्यादि की अधिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। परियोजना से अन्य सेवा उद्योग का विकास होगा जिससे अपरोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा ।

❖ निष्कर्षः उपरोक्त वर्णित लाभों व उपलब्ध होने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह कहना उचित होगा कि केल्साइट के खनन से इस क्षेत्र को एवं राष्ट्र को लाभ प्राप्त होगा एवं केल्साइट खनन का संचालन सर्वजन के हित में होगा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री आशाराम डूडी की ओर से जनसुनवाई के दौरान निम्नानुसार सुझाव एवं निर्देश दिए गए-:

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्याप्त वृक्षारोपण किया जावे एवं वृक्षारोपण के समय पौधो/ वृक्षों की समुचित देखभाल की जावे|
2. जो पौधे लगाये जावे इनकी लिखित में ग्राम पंचायत को सूचना दी जावे एवं ग्राम पंचायत का प्रतिवर्ष पौधो/ वृक्षों का प्रति वर्ष सत्यापन्न कराया जावे|
3. खनन कार्य में स्थानीय श्रमिकों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जावे|
4. खनन कार्य पर लगाये गए श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन कराया जाए एवं श्रमिको की स्वास्थ्य , बीमा एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाये|
5. श्रमिकों के बच्चो की शिक्षा , स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी समुचित व्यवस्था की जाये|
6. श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी अवश्य दी जाये|

इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही व क्षैत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली ने उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमुदाय से प्रस्तावित खनन परियोजना से सम्बन्धित प्रश्न पूछने एवं परियोजना प्रस्तावक और पर्यावरणीय सलाहकार से प्रश्नों का जवाब देनें के लिये कहा।

1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही ने कहा कि खनन इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या उपाय किये जायेंगे व स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने हेतु कहा, जिस पर इकाई प्रतिनिधि श्री राज के. महापात्रा ने बताया कि खनन कार्य वैज्ञानिक पद्धति से किया जायेगा, खनन इकाई में भरपूर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा ग्राम मोरस को गोद लेकर गॉव का विकास किया जाएगा।
2. श्री रतनलाल गरासिया, पंचायत समिति सदस्य, पिण्डवाडा ने लोक सुनवाई मे उपस्थित जनसमुदाय को अपनी स्थानीय भाषा में प्रश्न/समस्या पूछने हेतु कहा तथा स्थानीय युवकों व लोगों को रोजगार देने व गॉव के विकास हेतु खनन इकाई द्वारा कार्य करने की बात कही। जिस पर कम्पनी प्रतिनिधि श्री राज के. महापात्रा ने बताया कि स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी व गॉव में सड़क का निर्माण किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

3. श्री भँवरलाल मेघवाल, पूर्व प्रधान, पिण्डवाडा ने बताया कि खनन कार्य के दौरान ब्लास्टिंग करने से मकानों का नुकसान होगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु कहा, जिस पर कम्पनी प्रति निधि श्री राज के. महापात्रा ने बताया की खनन कार्य के दौरान वैज्ञानिक पद्धति से नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी तथा स्थानीय युवक एवं युवतियों को कौशल विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा इनकी अन्य इकाई में स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

4. श्री प्रेमाराम ने पूछा कि मै आईटीआई डिप्लोमाधारी हूँ, क्या मुझे खनन इकाई में रोजगार दिया जाएगा, जिस पर कम्पनी प्रतिनिधि श्री राज के. महापात्रा ने बताया की उनको रोजगार मे वरीयता दी जाएगी।

अन्त में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री आशाराम डूडी ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि अगर किसी को इस परियोजना से कोई समस्या, सुझाव आदि हो तो निःसंकोच होकर बताये प्रशासन आपके साथ है। इसके लिए 05 मिनट का समय दिया गया। इसके पश्चात उपस्थित जनसमूह से कोई आक्षेप/आपत्ति दर्ज नहीं होने पर उन्होंने सबकी सहमति से पर्यावरण जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।

सबसे अन्त में राजस्थान राज्य प्रदूषण निंयत्रण मण्डल, पाली के क्षेत्रीय अधिकारी श्री राजीव पारीक द्वारा पहुचें हुए सभी उपस्थित जनों का आभार प्रकट किया ।

(राजीव पारीक)
क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, पाली

(आशाराम डूडी)
अति. जिला कलेक्टर
सिरोही
सिरोही (राज.)

Scanned by CamScanner